न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

........भोलाराम........ बनाम ....रामजीलाल आदि........

किस्म मुकदमा ....225........ मु. नं0 ....58........ वर्ष........2024........

दिनांक	आज्ञा पत्र	
1.5.24	अपील दर्ज रजिस्टर हो। वकील अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील अपीलांट की बहस एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट द्वारा पेश किये गये दस्तावेज एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील/आदेश/आदेशिका उनवान रामजीलाल बनाम जगदीश आदि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 945/2023 धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय् दिनांक 22.12.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपने द्वारा पेश वाद के साथ पेश किया गया था जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि "पत्रावली का अवलोकन, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर एवं बिना अप्रार्थीगणों को सुने इस स्तर पर न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है"। पत्रावली अभी तलवी हेतु नियत है एवं विचारण न्यायालय के स्तर से धारा 212 प्रार्थना पत्र को अन्तिम रूप से तय नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तिम आदेश नही होकर अन्तरिम आदेश है। जो आगामी तारिख पेशी मात्र तक के लिये था। यह अपीलांधीन निर्णय की श्रेणी में नही आता है। अपीलांट के पास विकल्प था कि विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण के गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय प्राप्त करते और अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश करते। माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच द्वारा प्रकरण उनवानी जगदीश बनाम भोपालाराम में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2014 (आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409) में स्पष्ट रूप से मत प्रतिपादित किया है कि धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर पारित व अन्तरिम एकपक्षीय आदेश जो आगामी तारिख पेशी तक दिये गये हो, उनकी अपील धारा 225 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। पृष्ठ 410 के महत्वपूर्ण बिन्दु (बी) पर इस प्रकार मत पारित किया गया है:– " Revenue Appellate Authority has jurisdiction Under Section 225 of the Act to entertain an appeal against ex-parte or ad – interim ex-parte order passed by a Trial Court under section 212 of the Act, but Revenue Appllate Authority has no jurisdiction to entertain appeals against such ad- interim ex- parte order which are effective only till next date of hearing." इसी निर्णय में (आर.आर.टी. 2014(1) पृष्ठ 431) पर इस सम्बंध में धारा 225 राजस्थान काश्तकारी	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अधिनियम 1955 को उद्वरित करते हुए होल्ड किया है:– 12. A bare perusal of this section clearly reveals that section 225(1) of the Act can be divided into three different categories, firstly the final order order passed on an application of the nature specified in the Third shedule; Secondly, such other orders an are mentioned in Section 212 of this Act; thirdly such other orders as are passed under section 104 of CPC" निर्णय के पैरा संख्या 51 में अंकित किया है:–" Such other order passed under Rules 1, 2,2A,4A and 10 of order 39 of the Code are appealable but the ad-interim ex- parte order passed under Rules 3 and 3A of order 39 of the Code are centainely not appealable as per provision of section 104 read with order 43 Rule 1(r) of the Code." निर्णय के बिन्दु सं.8 Guidelines for the Appellate Court जिसके उप बिन्दु (6) अनुसार A new trend has emerged that when the Trial Court chooses not to pass an ad- interim ex- parte order on an application of temporary injunction, and issues notices to the non- applicants to appear and to file their objections, if any, on the next date of hearing, in the meantime the applicant prefers an appeal before the First Appellate Court to obtain the interim order of temporary injuction, in such cases, where the proceedings are still in progress with the Trial Court and no order has been passed either way. There in no reason to unnecessarily disturb the independent functioning of the Trial Court. In appropriate cases direction for early disposal of such applications can be given. विचारण न्यायालय में प्रकरण अभी तलवी हेतु नियत है। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण के विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील पेश की गयी है जो अन्तिम आदेश न होकर अन्तरिम आदेश है ऐसा आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नही आता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमिल दाखिल दफतर हो।	